

प्रतिवेदन

भारत सरकार द्वारा घोषित "हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान" अभियान के अंतर्गत बुधवार, 25 फरवरी 2026 को डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी तथा हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में "अपने संविधान को जानें" विषय पर एक दिवसीय परिचर्चा, शोध आलेख पाठ तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, उसके मूल्यों से परिचित कराना तथा लोकतांत्रिक चेतना को सुदृढ़ करना था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हंसराज महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर (डॉ.) रमा ने की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉ. मोहम्मद अमीन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र के **निदेशक कर्नल आकाश पाटील** तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को समृद्ध किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत-सम्मान के साथ हुआ। इसके पश्चात हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. राजवीर सिंह मीणा ने स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान केवल शासन व्यवस्था का आधार नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व की भावना का सशक्त दस्तावेज है। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान की मूल भावना को समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इसके उपरांत शोध आलेख पाठ के चयनित प्रतिभागियों ने अपने-अपने आलेख प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं

जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और नागरिक जिम्मेदारियों पर अपने विचार अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किए। विद्यार्थियों की प्रस्तुति से यह स्पष्ट हुआ कि नई पीढ़ी संविधान के प्रति जागरूक है और उसके मूल्यों को समझने का प्रयास कर रही है।

परिचर्चा की प्रस्तावना रखते हुए हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने भारतीय संविधान की महत्ता और उसकी समावेशी प्रकृति पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान विविधताओं से भरे इस देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है और यह हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्यों की ओर प्रेरित करता है।

मुख्य वक्ता के रूप में अपने उद्बोधन में भारतीय निर्वाचन आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉ. मोहम्मद अमीन ने संविधान में निहित नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द "हम भारत के लोग" यह स्पष्ट करते हैं कि इस देश की वास्तविक शक्ति जनता में निहित है और लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है।

मुख्य अतिथि कर्नल आकाश पाटील ने अपने संबोधन में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान विश्व के सबसे व्यापक और समावेशी संविधानों में से एक है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय को अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए तथा उसके आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए।

कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित शोध आलेख पाठ तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की सक्रिय और उत्साहपूर्ण सहभागिता

देखने को मिली। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों, सिद्धांतों और ऐतिहासिक संदर्भों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

शोध आलेख पाठ में प्रतीक शर्मा ने प्रथम स्थान, अखिल जायसवाल ने द्वितीय स्थान तथा पवन मैरुथा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में मणिकेश्वर यादव ने प्रथम स्थान, शशांक एवं सूरज ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान तथा दीपक यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. विजय कुमार मिश्र ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, शिक्षकों और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों में भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस प्रकार यह कार्यक्रम भारतीय संविधान के आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों को समझने तथा उन्हें समाज में व्यापक रूप से प्रसारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक पहल के रूप में सिद्ध हुआ है।

चित्र दीर्घा



